भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4049
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

धोखाधड़ीपूर्ण भर्ती अभियान

4049. श्री बलभद्र माझी:
श्री आलोक शर्मा:
श्री नवचरण माझी:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री जुगल किशोर:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) भविष्य में धोखाधड़ीपूर्ण भर्ती अभियानों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विज्ञापित नौकरियों के सरकारी होने के दावों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं; और
(ग) क्या सरकार की अनधिकृत संगठनों को सरकार के साथ संबद्धता का झूठा दावा करने से रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने की कोई योजना है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) ग्रामीण विकास विभाग में समूह- 'क' से 'ग' के नियमित पदों के लिए सभी भर्तियां संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा , नामित भर्ती एजेंसियों जैसे संघ लोक सेवा

आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती हैं। इसके अलावा , ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं; तथा ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

ग्रामीण विकास विभाग को हाल ही में एक फर्जी वेबसाइट का पता चला , जो विभाग की विषय-वस्तु की नकल कर रही थी और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4सी) से धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को बंद करने का अनुरोध किया गया। आई4सी ने फर्जी संगठन की वेबसाइटों को इंटरनेट से हटा दिया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर भी फर्जी संगठन के बारे में एक सूचना प्रकाशित की गई है। आम जनता को भी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट/संगठन और उसके फर्जी भर्ती अभियान के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सचेत किया गया। इसके अलावा , विभाग ने पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में एफआईआर दर्ज करें, मामले की जांच करें तथा दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें।

विभाग ने ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए , सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत विभाग में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है , ताकि इस विभाग से संबंधित किसी भी कानून के तहत निषिद्ध किसी भी सूचना के संबंध में मध्यस्थों को नोटिस जारी किया जा सके।

*****